**(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)**

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**
**केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली, तारीख 27 जून, 2020**

सा.का.नि....(अ)- केंद्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का 2) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि–

(i) 29 सितंबर, 2020 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52), (धारा 30, 30क, 41, 41क, 46 और 47 के सिवाय), सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय v में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा ऐसी कार्रवाई के, जो उक्त धारा के खंड (क) या (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट है, पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए है; और

(ii) 30 सितंबर, 2020 ऐसी अंतिम तारीख होगी, जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को विस्तारित किया जाएगा ।

(फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार